परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ

पत्रांक:2957एमटी/19-147MT/91(G) दिनांक:23 सितम्बर, 2019

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
   उ0प्र0 परिवहन निगम।
2. समस्त सेवा प्रबन्धक,
   उ0प्र0 परिवहन निगम।
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
   उ0प्र0 परिवहन निगम।

**विषयः– परिवहन निगम की बसों एवं अनुबन्धित बसों की सफाई–धुलाई के सम्बन्ध में।**

परिवहन निगम की बसों एवं अनुबन्धित बसों की उच्च स्तरीय सफाई–धुलाई सुनिश्चित करनें के उद्धेश्य से पत्र संख्या–2783एमटी/19–26एमटी/16 दिनांक–06 सितम्बर, 2019 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार आपसे यह अपेक्षा की गयी थी कि अपने क्षेत्र/डिपो के अन्य अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को प्रेरित कर बसों एवं प्रांगण की सफाई–धुलाई हेतु विशेष अभियान अपने नेतृत्व में चलवायें। जिसमें यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये, कि जो बसें कार्यशाला से मार्ग पर प्रस्थान करें, वह पूर्णतः स्वच्छ हों, उनके शीशे साफ हों एवं उनमें फ्रेशनर का छिड़काव किया जाये। मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये गये निरीक्षणों में ऐसी बसें पायी जाती है जो कि बिना सफाई–धुलाई के डिपो से आउटसेड कर दी गयी हों अथवा 200 किमी0 से अधिक संचालन के उपरान्त भी अपने अन्तिम पड़ाव पर उनकी सफाई–धुलाई नहीं करायी गयी। यह अत्यन्त खेदजनक है तथा इससे यात्रियों को असुविधा होती है तथा निगम की छवि भी धूमिल होती है।

उक्त हेतु पुनः निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. जिन डिपो में स्थान उपलब्ध है वहाँ पर आटोमेटिक बस वाशिंग प्लांट अवश्य स्थापित कराया जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि वाशिंग प्लांट पर बसों की समुचित सफाई–धुलाई होती रहे।
2. गंदी बस को कार्यशाला द्वारा ओ0के0 प्रमाण पत्र के निर्गत न किया जाये एवं बसों की बिना सफाई–धुलाई प्रमाणित हुए ड्यूटी स्लिप निर्गत न की जाये।
3. जिन बस स्टेशनों पर पानी की निकासी व पर्याप्त स्थान उपलब्ध है उन बस स्टेशनो पर परिपत्र संख्या–2209एमटी/2016–186एमटी/2015 दिनांक–05 जुलाई,2016 के प्राविधानों के अनुसार बस स्टेशन पर बसों की सफाई–धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. मार्ग निरीक्षण के समय यदि बस गन्दी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो को किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
5. यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में बस को बिना सफाई–धुलाई के मार्ग पर भेजा जाना अपरिहार्य हो तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी स्लिप पर कारण अंकित करते हुए केन्द्र प्रभारी/फोरमैन हस्ताक्षर करेंगे तथा आउटसेडिंग रजिस्टर में अंकित करेंगे।
6. बस की सफाई–धुलाई न होने के परिवाद की पुष्टि होने अथवा निरीक्षण के समय बस गन्दी पाये जाने पर डिपो के सीनियर फोरमैन, ड्यूटी स्लिप निर्गत करने वाले केन्द्र प्रभारी/लिपिक एवं बस के चालक पर 500 रू0 का अर्थ दण्ड निरूपित किया जाये एवं निरंतर कमी पाये जाने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जायेगी।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा सेवा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र की सभी डिपो में बसों की सफाई–धुलाई शतप्रतिशत हो

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. सहायक प्रबन्धक,प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com